



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 27 मार्च, 2015 ई0

चैत्र 06, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 94/XXXVI(3)/2015/20(1)/2015

देहरादून, 27 मार्च, 2015

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2015” पर दिनांक 27 मार्च, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 08 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2015

अधिनियम संख्या 08 वर्ष 2015

31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की संचित निधि से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए—

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम, 2015 है।

उत्तराखण्ड की
समेकित निधि में
से वर्ष 2015-16
के लिये
रु0326926412000
का दिया जाना

2. उत्तराखण्ड राज्य की संचित निधि में से ऐसे विविध परिव्यय, जो 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ- 2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, इतना रुपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों, जिन सबका कुल योग रुपये 326926412000 (रुपये बत्तीस हजार छः सौ बयानवे करोड़ चौसठ लाख बारह हजार मात्र) होता है, से अधिक न हो।

विनियोग

3— इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संचित निधि में से जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है उनका विनियोग 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये गये हैं।

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवाएँ और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रुपये में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
01-	विधान सभा	राजस्व	300521	14248	314769
		पूँजी	255000	0	255000
02-	हाइवे	राजस्व	0	78401	78401
		पूँजी	0	0	0
03-	मंत्रिपरिषद्	राजस्व	882970	0	882970
		पूँजी	250000	0	250000
04-	न्याय प्रशासन	राजस्व	1331582	326600	1658182
		पूँजी	370000	0	370000
05-	निर्वाचन	राजस्व	166939	0	166939
		पूँजी	0	0	0
06-	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	20800769	20248	20821017
		पूँजी	48002	100	48102
07-	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएँ	राजस्व	47399167	34371394	81770561
		पूँजी	639510	27767900	28407410
08-	आबकारी	राजस्व	162129	0	162129
		पूँजी	0	0	0
09-	लोक सेवा आयोग	राजस्व	103210	126351	229561
		पूँजी	0	10000	10000
10-	पुलिस एवं जेल	राजस्व	12000683	0	12000683
		पूँजी	75006	0	75006
11-	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	52362027	0	52362027
		पूँजी	4393234	0	4393234
12-	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	16393142	0	16393142
		पूँजी	303209	0	303209
13-	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	5136284	0	5136284
		पूँजी	3903842	0	3903842
14-	सूचना	राजस्व	284824	0	284824
		पूँजी	5000	0	5000
15-	कल्याण योजनाएँ	राजस्व	12281668	0	12281668
		पूँजी	315607	0	315607
16-	श्रम और रोजगार	राजस्व	1913843	0	1913843
		पूँजी	16000	0	16000
17-	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	5128966	0	5128966
		पूँजी	133303	0	133303

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखें)

अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक		
			(धनराशि हजार रुपये में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
18—	सहकारिता	राजस्व	346521	0	346521
		पूँजी	70000	0	70000
19—	ग्राम्य विकास	राजस्व	8331129	0	8331129
		पूँजी	6381127	0	6381127
20—	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	3930938	0	3930938
		पूँजी	6165800	0	6165800
21—	ऊर्जा	राजस्व	61112	0	61112
		पूँजी	1969037	0	1969037
22—	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	6367203	50900	6418103
		पूँजी	9077002	0	9077002
23—	उद्योग	राजस्व	978855	0	978855
		पूँजी	32504	0	32504
24—	परिवहन	राजस्व	457143	0	457143
		पूँजी	600007	0	600007
25—	खाद्य	राजस्व	3317031	0	3317031
		पूँजी	130001	0	130001
26—	पर्यटन	राजस्व	515948	0	515948
		पूँजी	1490003	0	1490003
27—	वन	राजस्व	5003096	0	5003096
		पूँजी	1262708	0	1262708
28—	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	1960707	0	1960707
		पूँजी	24401	0	24401
29—	औद्योगिक विकास	राजस्व	1953427	6967	1960394
		पूँजी	0	0	0
30—	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	9935332	0	9935332
		पूँजी	2892108	0	2892108
31—	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	2581030	0	2581030
		पूँजी	962696	0	962696
	योग—	राजस्व	222388196	34995109	257383305
		पूँजी	41765107	27778000	69543107
	महायोग		264153303	62773109	326926412

आज्ञा से,

जय देव सिंह,
प्रमुख सचिव।